राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1340/2009/कोटा

मैसर्स मल्टी मेटल्स लि0,
इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा। ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–प्रथम, कोटा। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 24.01.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/ई.टी./2009–10/कोटा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2009 के अन्तर्गत राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 12(3) के तहत आरोपित प्रवेश कर रूपये 143501/– एवं ब्याज रूपये 1243/– एवं शास्ति रूपये 3000/– को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 (जिसे आगे **"प्रवेश कर"** कहा जायेगा) के तहत अपीलार्थी द्वारा ई.टी.एल.ए.–3 एवं ई.टी.एल.ए.–5 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल पर प्रवेश कर का दायित्व बनता है अतः प्रवेश कर एवं ब्याज आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 304(ए) एवं (बी) के प्रावधानों के विपरीत होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स दिनेश पाउचेज के प्रकरण में Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 को असंवैधानिक करार दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में Indian Oil Corporation Ltd. & Anr. Vs State of U.P. & Ors reported in 2004 MTN

लगातार........2

(Vol. 24), M/s Jindal Strips Ltd., & Ors Vs State of Haryana reported in (2004) 134 STC 303, Addl. Commissioner Vs Prema Syntex reported in 8 VAT Reporter page 215 के उद्धरण प्रस्तुत किये। अतः उन्होंने आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील का मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स दिनेश पाउचेज के प्रकरण में Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 को असंवैधानिक करार दिया है। परन्तु प्रवेश कर के बिन्दु पर प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील द्वारा सिविल अपील संख्या 3453/2002 द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील बनाम स्टेट आफ हरियाणा में दिये गये निर्णय दिनांक 11.11.2016 के द्वारा प्रवेश कर को संवैधानिक ठहराया है अर्थात Contitutional validity of Entry Tax has been upheld by honourable Supreme Court. इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उक्त अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य